

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है। 85542025
2. वर्तमान धारित पद आगामी वेतनवृद्धि की तारीख वर्तमान वेतन

- | | | | |
|--|--------------------------|---------------|---------------|
| वर्तमान मूल्य | यदि खप के नाम | उस किस प्रकार | वर्तमान मूल्य |
| 3. वर्तमान वेतन | अगली वेतनवर्द्धि की राशि | | |
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो | 2. वर्तमान धारित पद | | |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खीरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वतलाईये कि वह जिसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसी किस प्रकार अर्जित किया गया अथवा पट्टा, बंधक, खरीद पट्टा, गैर या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गारंटी और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	संपत्ति से प्राप्त आय	अभियुक्ति	

वहाँ जाऊँ न हो काट दीजिए।
ऐसे मामलों में पहले मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो तो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल जी श्री साध्विनी देवी के द्वारा

विष्णुजी - मध्य प्रदेश शासक के एक (आचार्य) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में परवर्ती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक बार श्रेणी की आवृत्ति के परवर्ती-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वातिथिक की तथा उसके द्वारा अतिरिक्त आगामी उसे विचारणा में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पर पढ़ें या वैधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खर्चे हैं।

Handwritten signature: *[Signature]* : 12/12/19

Wolfgang E. J. : HLE

III-2/4 : 2h